(R) F.A (बजट)
12/4/2016

क्रमांक/1301 राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक: प.21(32)प्राशि/आयो./एकी.वेतन/2015 जयपुर, दिनांक 11-04-2016

निदेशक,
प्रारम्भिक /माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय: उमावि/मावि में समन्वित प्रावि/उप्रावि में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आहरण करने के क्रम में।

संदर्भ : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 02.02.2016 एवं वित्तीय सलाहकार, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का पत्रांक : शिविरा/प्रारं/बजट/बी–1 /सम.वि./2016–17 दिनांक 8 अप्रैल, 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक : प 21(51)प्रा.शि./आयो/2015 दिनांक 26.06.2015 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधीन संचालित 13250 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उमावि/मावि में समन्वित किए जाने पर इन विद्यालयों में स्वीकृत 71903 कार्मिकों के पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित किए जाने के फलस्वरूप प्रत्याहारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन पदों में सर्व शिक्षा अभियान एवं पंचायती राज के पी. डी मद में कार्मिक भी सम्मिलित है।

उपरोक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के आदेश क्रमांक प. 22(6) शिक्षा–1/2002 दिनांक 19.06.2015 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेटअप परिवर्तन की कार्यवाही आंशिक रूप से की जा चुकी है; परन्तु समस्त कार्मिकों के सेट–अप परिवर्तन में समय लगने की सम्भावना है।

अतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वित विद्यालयों में कार्यरत पंचायतीराज के पी. डी. मद के कार्मिकों एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत पदों पर कार्यरत कार्मिक जिनका अभी तक प्रारम्भिक शिक्षा सेट–अप परिवर्तन माध्यमिक शिक्षा में नहीं हुआ है, उन कार्मिकों के वेतन का (जिनका वेतन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आहरित व वितरण किया जा रहा है) आहरण एवं वितरण सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से यथावत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेट–अप परिवर्तन प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा माह जून पेड जुलाई 2016 (जो भी पहले हो) तक लागू रहेगी। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा इस बाबत आवश्यक आदेश/निर्देश जारी कराना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/बजट/बी–1/समन्वित/2015–16/ दिनांक 12.4.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के उक्त पत्र के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
4. अनुभाग अधिकारी, शैक्षिक अनुभाग कार्यालय हाजा।

वित्तीय सलाहकार,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर